



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112024-258602
CG-DL-E-12112024-258602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2024/कार्तिक 21, 1946

No. 639]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2024/KARTIKA 21, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 698(अ).—जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18), अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन अपराधों को आपराधिक श्रेणी से मुक्त करने के लिए उक्त अधिनियम का संशोधन करता है;

और केंद्रीय सरकार का मत है कि परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और जबकि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध किया गया है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा;

और केंद्रीय सरकार का मत है कि परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 का संशोधन करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की आवश्यकता को अभिमुक्ति प्रदान करना लोकहित में है;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

1. (1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) द्वितीय संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात:-

“40. उल्लंघन हेतु कार्रवाई—कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों का अनुसरण करने में असफल रहता है या इनका उल्लंघन करता है, इस अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार शास्ति हेतु दायी होगा।”

3. उक्त नियमों की अनुसूची IX में, पैरा 11 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-

“11. उल्लंघन हेतु कार्रवाई—कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों का अनुसरण करने में असफल रहता है या इनका उल्लंघन करता है, इस अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार शास्ति का हेतु दायी होगा।”

[फा. सं. 23/151/2022-एचएसएम]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 395(अ) के अधीन तारीख 04 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 177(अ) के अधीन तारीख 12 मार्च, 2024 को इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2024

G.S.R. 698(E).—WHEREAS the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023) *inter alia* amends the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for decriminalising the offences under the said Act;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;

AND WHEREAS sub-rule (4) of the rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement), Rules, 2016;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 40 the following rule shall be substituted, namely:-

“40. **Action for contravention.** - Any person who fails to comply or contravenes the provisions of these rules shall be liable to a penalty in accordance with the provisions of section 15 of the Act.”.

3. In Schedule IX to the said rules, for paragraph 11 the following paragraph shall be substituted, namely:-

“**11. Action for contravention.** - Any person who fails to comply or contravenes the provisions of these rules shall be liable to a penalty in accordance with the provisions of section 15 of the Act.”

[F. No. 23/151/2022-HSM]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Note. -The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016, and Last amended *vide* number G.S.R. 177(E) dated the 12th March, 2024.